बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सूचना

महिला प्रसार पदाधिकारियों एवं प्रसार पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम.ए.सी.पी.) की स्वीकृति का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस क्रम में 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके इन संवर्गों के योग्य पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा से प्राथमिकता के आधार पर विमुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया जाना है।

इस प्रसंग में विभागीय पत्रांक 117017 दिनांक-09.08.2012, 125081 दिनांक-05.10.2012 तथा 147421 दिनांक-07.05.2013 के द्वारा सभी उप विकास आयुक्त से उपर्युक्त पदाधिकारियों के विभागीय परीक्षा से विमुक्ति हेतु आवेदन पत्र/सेवापुस्त की अभिप्रमाणित प्रति, अद्यतन गोपनीय चारित्रिक अभियुक्तियों के साथ-साथ दंड एवं आरोप की स्थिति से संबंधित जानकारी की मांग की गई है।

अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से दोनों संवर्गों के सभी पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले ऐसे सभी पदाधिकारी जो इच्छुक हो, विभागीय परीक्षा से विमुक्ति हेतु अपना आवेदन नियंत्री पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त) के माध्यम से दिनांक-30.05.2013 तक आवश्यक रूप से ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध करायें। यदि कोई पदाधिकारी इस संबंध में आवेदन नहीं देने के कारण विभागीय परीक्षा से विमुक्ति से वंचित हो जाते हैं तो इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। संबंधित उप विकास भी प्राप्त आवेदनों को ससमय ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त निदेशक (पशुपालन)
ग्रामीण विकास विभाग

पी.आर.-2183 (आर.डी.डी.) 13-14

जनता को तंग क्या करना, जाना जेल और पानी भरना।